

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

चरणजीत सिंह बनाम हरदीप सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 आरटीए नम्बर प्रकरण संख्या 109 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/149

तामिल  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल  
में जारी हुए

28.04.2025

वादी चरणजीत सिंह पुत्र सविन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख निवासी चक 49 एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 आरटीए, पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.05.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सम्मन जारी  
179  
28/4/25

55  
25

आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र आ. 23 नियम 1C/C पेश करने पर पेशी में ली गयी प्राथमिक पत्र में अर्ज किया कि पत्रावली आज पेशी में ली जाकर वादपत्र खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राथमिक के द्वारा वादपत्र नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीति होकर नम्बर से कम होकर वापिस फुटर हो



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)